न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारीः—जय कौशिक आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः— 628/2025
वादपत्र अन्तर्गत धारा :— 88 आरटीए

मनिन्द्र पुनी पुत्र श्री मंगल सिह जाति तरखान निवासी मालारामपुरा तहसील संगरिया।

—वादी

बनाम्

1. अमरजीत कौर पत्नी स्व. श्री प्यारासिह जाति तरखान निवासी मालारामपुरा तहसील संगरिया।
2. गोलो देवी पत्नी स्व. श्री मंगल सिह जाति तरखान निवासी मालारामपुरा तहसील संगरिया।
3. तहसीलदार राजस्व संगरिया।

प्रतिवादीगण

उपस्थित — 1. श्री महावीर बेरड़ एडवोकेट (वादी)
2. कुलदीप मूण्ड एडवोकेट (प्रति.सं. 1 ता 2)

निर्णय दिनांकः— 24.2.2025

अधिवक्ता वादी द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया गया जिसके तथ्य निम्नाअनुसार है कि प्रतिवादीया सं. 1 वादी की दादी एवं प्रतिवादीया सं. 2 वादी की माता है जो कि एक ही संयुक्त परिवार के सदस्य है। वादी के स्व. पिता मंगल सिंह पुत्र श्री प्यारा सिंह के नाम से तहसील संगरिया के चक 10 के.एस.डी. के खाता सं. 72/58 जमाबन्दी सम्वत् 2070—73 में 1/4 हिस्सा अर्थात् 0.253 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त चक के खाता की जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिलिपि सलंग्न वाद पत्र है। वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 की संयुक्त खाता की संयुक्त विरासतन कृषि भूमि हैं जिसमें वादी का जन्म से हित एवं स्वत्व निहित है परन्तु उक्त समस्त कृषि भूमि वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में बंटवारानुसार दर्ज नही होने तथा विवादित खाता में दर्ज होने के कारण तथा प्रतिवादी सं. 1 व 2 के अन्य लोगों के प्रभाव में होने व उक्त भूमि की आय का अपने निजी व्यसनों पर खर्च करने के कारण वादी व प्रतिवादी सं. 1 व 2 के मध्य विवाद हो गया व आपस में कटुता पैदा हो गई इस पर रिष्तेदारों आदि ने जरिये पंचायत वादी व प्रतिवादी सं. 1 व 2 के मध्य राजीनामा व बंटवारा करवा दिया। जिसमें प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने अपने हक व हिस्सा की कृषि भूमि परित्याग वादी के पक्ष में बंटवारा अनुसार कर दिया। प्रतिवादी सं. 1 व 2 का उक्त कृषि भूमि में कोई हक व हिस्सा षेष नही रहा है। वादी को बंटवारा में प्राप्त कृषि भूमि का विभाजन निम्न प्रकार से हैः **वादी मनिन्द्र पुंनी पुत्र श्री मंगल सिंह जाति तरखान निवासी मालारामपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषि भूमि** तहसील संगरिया के चक 10 के.एस.डी. के खाता सं. 72/58 जमाबन्दी सम्वत् 2070—73 में 1/4 हिस्सा अर्थात् 0.253 है. कृषि भूमि वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 की संयुक्त खाता की संयुक्त कृषि भूमि हैं जिसमें वादी का जन्म से हित एवं स्वत्व निहित है। वाद पत्र की चरण सं. 4 के अनुसार वादी खातेदार काष्तकार होने की घोषणा करवाने का अधिकारी एवं दावेदार है। वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 की संयुक्त खाता की संयुक्त कृषि भूमि हैं जिसमें वादी का जन्म से हित एवं स्वत्व निहित है। वादी ने वाद पत्र की चरण सं. 4 के अनुसार वादी खातेदार काष्तकार होने की घोषणा करवाने हेतु कहा तो कुछ दिन तक तो प्रतिवादी सं. 1 व 2 टाल मटोल करते रहे, आखिर गत् सप्ताह ऐसा करने से कतई इन्कार हो गये। बस यही वाद कारण है। प्रतिवादी सं. 1 व 2 को मृतक प्यारा सिंह व मंगल सिंह के विधिक वारिसान होने के कारण तथा प्रतिवादी सं. 3 को भू—धारक होने के कारण पक्षकार बनाया गया है। वाद पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है जो उचित न्याय शुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी

अतः वाद वादी प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे कि मुताबिक बंटवारा वादी के स्व. पिता मंगल सिंह पुत्र श्री प्यारा सिंह के नाम से तहसील संगरिया के चक 10 के.एस.डी. के खाता सं. 72/58 जमाबन्दी सम्वत् 2070–73 में 1/4 हिस्सा अर्थात् 0.253 है. कृषि भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित कर स्व. पिता मंगल सिंह पुत्र श्री प्यारा सिंह का नाम कलमजन किया जावे।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गई। वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रति.सं. 1 ता 2 ने जरिये अधिवक्ता जवाबदावा प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी सं. 3 राज पैरोकार तहसीलदार (राजस्व) संगरिया की ओर से जबाव प्रस्तुत किया गया। जिसमें राज्य हित को विपरीत प्रभावित किये बिना वादी को याचित अनुतोश प्रदान करने में कोई आपत्ति नहीं की गई। प्रकरण में विवाधक न बनना पाये जाने पर साक्ष्य वादी रिकार्ड की गई। वादी ने अपने साक्ष्य में आदेश 18 नियम 4 व्या.प्र.संहिता का शपथ–पत्र प्रस्तुत किया तथा चक 10 के.एस.डी. के खाता सं. 72/58 जमाबन्दी सम्वत् 2070–73 एव माननीय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट संगरिया प्रकरण संख्या 143/2023 अनवान गोलो देवी वगैरा बनाम सर्वधारण वगैरा में पारित डिक्री की फोटो प्रति पेश की गई है।

बहस उभय पक्ष विद्वान अधिवक्तागण सुनी गई। बहस में वकील वादी ने कथन किया कि चक 10 के.एस.डी. के खाता सं. 72/58 जमाबन्दी सम्वत् 2070–73 में वादी के स्व. पिता मंगलसिह पुत्र प्यारासिह के नाम दर्ज है जो हमारी जद्दी जायदाद है। बहस में यह भी कथन किया कि वादी के वाद का प्रतिवादी ने कोई विरोध नहीं किया इस आधार पर वादपत्र को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। प्रतिवादीया सं. 1 वादी की दादी एवं प्रतिवादीया सं. 2 वादी की माता है जो कि एक ही संयुक्त परिवार के सदस्य है। वादग्रस्त आराजी वाद पत्र के वर्णितानुसार मृतक मंगल सिह पुत्र प्यारासिह के नाम है जो पैतृक साबित है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 ने जरिये अधिवक्ता जवाबदावा प्रस्तुत कर वाद को स्वीकार किया है। जिससे वाद पत्र के तथ्यों की पुष्टि हो रही है। दस्तावेजी साक्ष्यों से वाद वादी साबित है। पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। वादी के वाद का प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया गया। प्रकरण में सहमति का जवाबदावा पेश हो चुका है। परिणाम स्वरूप वाद वादी मुताबिक सहमति/पैतृक अनुसार डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वाद वादी डिक्री किये जाने योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी उक्त विवेचन के आधार पर निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि:– चक 10 केएसडी के खाता संख्या 72/58 जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 में मंगलसिह पुत्र श्री प्यारासिह के नाम दर्ज कृषि भूमि का वादी मनिन्द्र पुंनी को खातेदार काश्तकार घोषित कर मंगलसिह पुत्र श्री प्यारासिह का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है।

अतः पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। राजीनामा निर्णय का भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह निर्णय आज दिनांक 24.2.26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले इजलास में सुनाया गया।

(जय कौशिक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया

वादपत्र अन्तर्गत धारा :–88 आरटीए
प्रकरण संख्याः– 628/2026

मनिन्द्र पुनी पुत्र श्री मंगल सिह जाति तरखान निवासी मालारामपुरा तहसील संगरिया।

–वादी

बनाम्

1. अमरजीत कौर पत्नी स्व. श्री प्यारासिह जाति तरखान निवासी मालारामपुरा तहसील संगरिया।
2. गोलो देवी पत्नी स्व. श्री मंगल सिह जाति तरखान निवासी मालारामपुरा तहसील संगरिया।
3. तहसीलदार राजस्व संगरिया।

प्रतिवादीगण

यह राजस्व वाद आज वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री महावीर बेरड एडवोकेट व मिन जानिब मुदायला प्रति सं. 1 ता 2 श्री कुलदीप मूण्ड एडवोकेट एवं राज पैरोकार तहसीलदार (राजस्व) संगरिया पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद वादी डिक्री किया जाता है कि चक 10 केएसडी के खाता संख्या 72/58 जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 में मंगलसिह पुत्र श्री प्यारासिह के नाम दर्ज कृषि भूमि का वादी मनिन्द्र पुंनी को खातेदार काश्तकार घोषित कर मंगलसिह पुत्र श्री प्यारासिह का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है।

नोट :– यदि हक हिस्सा प्रभावित नही हो तो ऋणि काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारों का अमल दरामद कर दिया जावे। राजीनामा डिक्री का भाग रहेगा।

निज....X....नल....X....मुब्लिक....X....निल....X....बाबत्....X....निल....X....खर्चा मुकदमें के मय सूद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक....X....अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 24.2.2026 को जारी किया गया।

(जय कौशिक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया